

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर



विश्वविद्यालय भवन,
आर.एन.टी.मार्ग,
इन्दौर-462001

क्रमांक भण्डार/निविदा नियम/2015/69

दिनांक: 28 SEP 2017

प्रति,
विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ/संस्थान,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

समस्त अधिकारी / चीफ वार्डन/
समन्वयक/परीक्षा नियंत्रक/
वि.वि.यंत्री/मुद्रणालय प्रभारी,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

संदर्भ :- पत्र क्रमांक भण्डार/निविदा नियम /2015 /1684 दिनांक 23.09.15
विषय:- मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि पत्र क्रमांक एफ 6-14/2012/अ ग्यारह दिनांक 28.7.2015 मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ नगर, भोपाल द्वारा विषयातर्गत जारी भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 विश्वविद्यालय में दिनांक 23.09.15 से लागू किए गए हैं। कार्यपरिषद की दिनांक 3.8.17 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उक्त लागू किए गए नियमों को कार्यान्वयन अनुमोदन प्रदान किया गया।

भवदीय,


कुलसचिव